माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांकः– /
अपील- 5004/2018/नीमच/भू.२१

संतोष झंवर पिता भरतकुमार झंवर,
निवासी – मनाना, तहसील मनासा,
जिला नीमच ——————— अपीलार्थी

विरूद्ध

1– अभिषेक पिता सत्यनारायण पाटीदार,
निवासी – मनासा, तहसील मनासा,
जिला नीमच।

2– म0प्र0 शासन।

—— प्रत्यर्थीगण

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 755/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 17/7/2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नानुसार अपील का स्मरण लेख सादर प्रस्तुत है :–

!! प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य !!

1– यह कि, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के द्वारा एक आवेदन पत्र मौजा पिपल्याहाड़ी, तहसील मनासा, जिला नीमच के भूमि सर्वे नंबर 418/1/1 पर आने–जाने हेतु मनासा से रामपुरा मुख्य मार्ग से शासकीय भूमि सर्वे नंबर 354 पर 40 फीट चौड़ा मार्ग वर्षों पुराना बना होने, परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज न होने के कारण दर्ज करने के लिये तहसीलदार, तहसील मनासा, जिला नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 77/बी–121/2013–14 पर कायम हुआ और इसमें दिनांक 28/4/2014 को जांच का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार ने इस रास्ते को खसरे में इंद्राज का आदेश पारित कर दिया जिसकी शिकायत कलेक्टर महोदय को होने पर कलेक्टर नीमच को की गई जो पीआर्ड ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-5004/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/12/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 755/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-44(2) के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के द्वारा कलेक्टर नीमच के समक्ष संहिता की धारा-131 के तहत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर ने तहसीलदार मनासा एवं अधीक्षक भू-अभिलेख, नीमच से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। भूमि स्थित मौजा पिपल्याहाडी, तहसील मनासा, जिला नीमच के सर्वे नं. 418/1/1 पर आने-जाने हेतु रास्ता का उपयोग मनासा से रामपुरा मुख्य मार्ग से शासकीय मद चरनोई भूमि सर्वे नं. 354 एवं उससे लगी भूमि सर्वे नं. 417 मिन 2 मद का0का0 का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है और मौके पर रास्ता विद्यमान होकर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। तहसीलदार मनासा के प्रतिवेदनानुसार संहिता की धारा-131 के अंतर्गत आदेश पारित की आवश्यकता न होने से कलेक्टर नीमच ने अपने पूर्व में जारी आदेश पीआई/2017/1740 दिनांक 06.10.2017 को निरस्त किया जाकर आदेश दिनांक 07.03.2018 द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.म.प्र. को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 17.07.2018 द्वारा निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि जिस तहसीलदार ने एक बार रास्ते की प्रार्थना करने पर संहिता की धारा 237 के प्रावधानों का उपयोग कर बिना क्षेत्राधिकारिता का आदेश पारित किया था उस आदेश को कलेक्टर नीमच द्वारा निरस्त किया गया और अपर आयुक्त संभाग उज्जैन ने उसी आदेश को रिमाण्ड आदेश के माध्यम से पुर्नविचार करने के लिए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया, जबकि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में सन् 2011 में धारा 49 में अपील न्यायालय की शक्तियों में यह स्पष्टतया प्रावधान निहित किया गया है कि अपील स्टेज पर किसी भी रूप में प्रकरण को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रतिप्रेषित नहीं करेगा, इसके विपरीत अपर आयुक्त ने रिमाण्ड आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रकरण में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपने न्याय निर्णय 2016 वाल्यूम-1 एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 386 (डी.बी.) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 237 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी प्राधिकारी को चरनोई की भूमि के क्षेत्रफल में कमी करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस न्याय निर्णय का उल्लंघन करते हुए अवमाननापूर्ण कार्यवाही से चरनोई भूमि की सीमाओं को कम करते हुए आलोच्य आदेश पारित किये हैं इसलिए भी आलोच्य आदेश निरस्ती योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह उल्लेखित कर दिया कि तहसीलदार के प्रतिवेदन में रास्ता विद्यमान होना बताया है, जबकि रास्ता पूर्व से था ही नहीं और प्रत्यर्थी स्वयं के द्वारा उसका गैस गोडाउन स्थापित करने के लिए उसने जो रास्ते की मांग की थी, जो कि उसके मूल आवेदन-पत्र में लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि उसने असत्य आधारों पर कोई प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया और उसके आधार पर यदि उसने अनुमति दी है तो वह बिल्कुल ही गलत है। धारा- 237 एवं धारा- 131 दोनों के प्रावधान	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-5004/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विपरीत परिस्थिति के हैं, इसलिए जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है वह बिल्कुल ही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और निरस्ती योग्य है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि दिनांक 06.03.2018 को जो तथाकथित पंचनामा तैयार किया गया है वह पंचनामा भी विधि अनुसार नहीं है। न तो यह प्रकट किया गया है कि पंचनामा बनाने के पूर्व किसी प्रकार की कोई जाहिर सूचना निकाली गई, न व्यक्तियों को सूचना दी गई और ना ही इस पंचनामे पर किस व्यक्तियों को पंचनामे के लिए बुलाया गया इसकी कोई पहचान दिखती है, केवल प्रत्यर्थी का नाम ही उसमें दिखता है, इसलिए भी यह पंचनामा विश्वसनीय नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों ने मनमाने तरीके से प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को लाभ पहुंचाने के लिए आदेश पारित किए हैं जो कि अपास्त किए जाने योग्य हैं। 4/ प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक ने मौजा हार्डी पिपल्या स्थित अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं. 418/1/1 रकवा 0.150 हे. कर विधिवत कृषि भिन्न आश्य से व्यपवर्तित करवाकर गैस सिलेण्डर भण्डारन का भण्डारगृह बनाकर उपभोक्ताओं को विधिवत सुविधाजनक रूप से गैस सिलेण्डर वितरित कर रहा है। इस भूमि सर्वे नं. 418/1/1 से लगत उत्तर दिशा में धारा 237 भू-राजस्व संहिता के तहत घोषित भूमि सर्वे नं. 354 चरनोई हेतु आरक्षित है। चरनोई भूमि सार्वजनिक होकर चरनोई के साथ-साथ सार्वजनिक उपयोग की है और संहिता की धारा 237 के प्रावधानों के अनुसार निस्तारपत्रक माननीय जिला कलेक्टर द्वारा इमारती लकड़ी या ईंधन के लिए आरक्षित क्षेत्र के लिए इस तरह धारा 237(1) के (क) से लगायत (ट) तक	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के प्रयोजनों के लिए आरक्षित रखी जाती है, जिसमें 237(1) (ण) में वर्णित पाठशाला खेल के मैदान उद्यानों सड़कों गलियों नालियों एवं अनेक लोकप्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई हैं। चारागृह और घास-बीड़ की भूमि खाली भूमि और इसका उपयोग उपभोग हितबद्ध व्यक्ति करने के अधिकारी हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि पूर्व में भी अपीलांट के द्वारा झूठी शिकायत की जो निरस्त हो चुकी है। पूर्व में भी अपीलांट की शिकायतों पर जांच की जो मौजा पटवारी राजस्व निरीक्षक और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. के अधिकारी मौके पर आए और मौके की स्थिति का अवलोकन कर पंचनामा बनाकर मौके की रिपोर्ट दी जो मौके मान से सही है। उस जांच और रिपोर्ट में रेंस्पोंडेंट की किसी भी प्रकार की अवैधानिकता व त्रुटि नहीं पाई गई। गैस गोडाउन में आने-जाने, वाहन लाने के संबंध में तहसीलदार महोदय से अनापत्ति इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा इसलिए चाही गई थी कि शासन को किसी प्रकार की कोई आपत्ति तो नहीं है और इसी मंशा अनुसार मौके की जांच की गई जिसमें कोई नया रास्ता, नया हक, गोडाउन में आने-जाने व उपयोग व उपभोग करने में कोई आपत्ति नहीं पाई जाने से अनापत्ति होना प्रमाणित किया गया। इससे न तो सर्वे नं. 354 की भूमि का वयपवर्तन हुआ और न ही स्वरूप बदला और न ही व्यवसायिक दृष्टि से होना पाया गया। इस सर्वे नं. 354 में स्थित पीढ़ियों पुराना 40 फीट आम रास्ते का उपयोग एवं उपभोग अन्य कृषकों एवं उपभोक्ता द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार मनासा द्वारा राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त कर रेसपोंडेंट एवं अन्य कृषकों के आने-जाने या औजारों व अन्य वाहनों व कृषि उपकरणों को लाने ले जाने वाले रास्ते का उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित एवं वैधानिक है। उक्त आधार पर उनके द्वारा यह अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-5004/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर प्रारंभ हुआ है। कलेक्टर द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर से तहसीलदार एवं अधीक्षक भू-अभिलेख से प्रतिवेदन प्राप्त किये गये हैं। प्रतिवेदन में अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण में ग्राम पिपल्याहाड़ी तहसील मनासा के सर्वे नं. 418/1/1 पर किसानों के आने-जाने हेतु रास्ता के रूप में शासकीय भूमि सर्वे नं. 354 मद चरनोई एवं उससे लगी भूमि सर्वे नं. 417 मीन-2 मद का.का. का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। और मौके पर रास्ता विद्यामान होकर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वर्तमान में रास्ते के संबंध में कोई विवाद नहीं है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में धारा 131 के अंतर्गत आदेश पारित करना आवश्यक न मानते हुए आवेदक की शिकायत को निरस्त किया गया है। उक्त आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनसथ न्यायालय के आदेश में कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	